

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : F7 () B-PLAN/MISC/2011/ 1105

दिनांक : 2-4-2012

श्री वैकटराज पिता श्री उदयराज धाबाई,
श्री सुरेश कुमार उपाध्याय पिता श्री नवीनचन्द्र,
श्री राम सुरेश यादव पिता श्री वैजनाथ यादव,
श्री अजय जैन पिता श्री बी. के. जैन
123-ए, हिरण-मगरी सेक्टर-14, उदयपुर

विषय :- राजस्व ग्राम भूवाणा के खसरा संख्या 1127 से 1131, 1134, 1135 में स्थित संयुक्तिकृत भूखण्ड संख्या 17 एवं 18 क्षेत्रफल 14611.18 वर्गफीट (1357.91 वर्गमीटर) पर आवासीय प्लेट्स प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन पत्र क्रमांक 1011 दिनांक 30-12-2010 द्वारा राजस्व ग्राम भूवाणा के खसरा संख्या 1127 से 1131, 1134, 1135 में स्थित संयुक्तिकृत भूखण्ड संख्या 17 एवं 18 क्षेत्रफल 14611.18 वर्गफीट (1357.91 वर्गमीटर) पर आवासीय प्लेट्स प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति चाही गई थी, जिसके क्रम में प्रकरण प्रन्यास की भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 23-05-2011 में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण नियमानुसार होने के कारण समिति द्वारा सर्व-सम्मति से आवासीय प्लेट्स हेतु नियमानुसार शुल्क लेते हुए आवासीय प्लेट्स प्रयोजनार्थ स्टील्ट (पार्किंग) + भूतल + छः तल तक भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया, जिसमें समिति निर्णयानुसार प्रथम चरण में स्टील्ट (पार्किंग) + भूतल + दो तल की निर्माण स्वीकृति जारी की जाती हैं। मौके पर प्रथम चरण का निर्माण/सरंचना स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किये जाने पर प्रार्थी के द्वितीय चरण के आवेदन पर प्रकरण समिति के समक्ष रखा जाकर समिति के निरीक्षण उपरान्त द्वितीय चरण की शेष मंजिलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। अतः आप द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र उपरोक्तानुसार निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है।

शर्त :-

1- भूखण्ड पर निर्माण निम्नलिखित सेटबैक छोड़कर किया जायेगा, जिसमें निर्धारित भवन रेखाओं से आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।

सामने (60 फीट चौड़ी सड़क की चरफ)

30.00 फीट (न्यूनतम)

पीछे

23.00 फीट (न्यूनतम)

पार्श्व - 1

23.00 फीट (न्यूनतम)

पार्श्व - 2

23.00 फीट (न्यूनतम)

- 2- मानचित्र में दर्शायेनुसार भूखण्ड पर बनाये जाने वाले भवन की एफ ए आर 1.85 तथा आच्छादित क्षेत्र 34 प्रतिशत रखते हुए निर्मित होने वाले आवासीय भवन की ऊँचाई भूतल से 68.25 फीट से अधिक नहीं होगी।
- 3- भूखण्ड के सामने 60 फीट चौड़ी सड़क स्थित हैं। उक्त चौड़ाई / मार्गाधिकार में कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
- 4- भवन के प्रत्येक कमरे, शौचालय, रसोई-घर आदि में हवा व रोशनी की उपर्युक्त व्यवस्था करेंगे तथा भवन विनियमों के अनुसार आकार रखेंगे।
- 5- भूखण्ड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण पड़ोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- 6- भूखण्ड पर निर्माण इस पत्र में वर्णित शर्तों एवं न्यास में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुड़वाया जाकर न्यास द्वारा आपसे खर्चा वसूल किया जावेगा।
- 7- यह स्वीकृति इस भूखण्ड पर केवल आवासीय फ्लेट्स भवन निर्माण की स्वीकृति हैं। इसे इस भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा। भूमि का स्वामित्व वैद्य दस्तावेजों के आधार पर ही मान्य होगा। इस भवन मानचित्र स्वीकृति से भूमि / भूखण्ड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस संबंध में न्यास एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित होंगे।
- 8- यह स्वीकृति आवासीय उपयोग हेतु स्टील्ट (पार्किंग) + भूतल + छः तल निर्माण हेतु ही दी जा रही हैं। इसके विपरित कोई निर्माण नहीं करें। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर न्यास द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 9- भूखण्ड के सामने सीवर लाईन उपलब्ध होने पर सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। तब तक दूषित जल मल की व्यवस्था भूखण्ड के अन्तर्गत ही करना अनिवार्य होगा।
- 10- भूखण्ड क्षेत्र में प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे तथा भवन निर्माण में कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
- 11- प्रार्थी इस भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखण्ड को रहन रखें तो इसमें न्यास को कोई आपत्ति नहीं है।
- 12- यह स्वीकृति जारी तिथि से 28-12-2012 तक मान्य हैं। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं कराने पर नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।



- 13- सड़को, खुले स्थान, जन सुविधा एवं पार्किंग हेतु छुड़वाये गये स्थान के स्थल की समर्पण पत्र के अनुसार पालना करनी होगी।
- 14- आवासीय परिसर में आवासीय के 75 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर एक समतुल्य कार इकाई की पार्किंग सुविधा आवश्यक करनी होगी। इसके अतिरिक्त आगुन्तकों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त पार्किंग उपलब्ध करानी होगी। इस पार्किंग सुविधा में न्यूनतम 75 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र कार पार्किंग के लिये ही निर्धारित होगा। इसका प्रावधान नियमानुसार परिसर में करना होगा।
- 15- स्वीकृत मानचित्र में आवासीय भवन में प्रस्तावित स्टील्ट (पार्किंग) एवं भूखण्ड के सेटबैक के जिस भाग को पार्किंग उपयोग में दर्शाया गया है, उसके लिये भवन निर्माता द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के हक में समर्पण का समर्पण-पत्र तथा शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि भवन निर्माता द्वारा यह भाग किसी को बेचा नहीं जावेगा व इसे केवल पार्किंग उपयोग में लिया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक निवास इकाई को कम से कम एक चौपहिया वाहन कि पार्किंग चिन्हित कर अधिकृत करना होगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर नगर विकास प्रन्यास बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा-खर्चा संबंधित व्यक्ति जिसने पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग किया है, से वसूला जावेगा तथा वह उसे जमा कराने हेतु बाध्य होगा। स्टील्ट फ्लोर एवं पार्किंग के लिये सेटबैक में निर्धारित ऐसा क्षेत्र जिसे प्रन्यास को पार्किंग व्यवस्था हेतु समर्पित किया गया है, उसे प्रन्यास पुनः भवन मालिक को लीज या सालाना किराये पर उसके रख-रखाव व प्रबन्ध हेतु दे सकेगा।
- 16- भवन के नीचे नियमानुसार निर्धारित सेटबैक छोड़ते हुए भूतल के आच्छादित क्षेत्र के बराबर स्टील्ट फ्लोर का निर्माण किया जा सकेगा। भवन में लिफ्ट के उपबन्धों के अनुसार सुविधाएं दी जायेगी तथा भवन में आपातकालीन तथा अन्य व्यवस्थाओं का प्रावधान करना होगा। विद्युत सेवा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों की पालना करना आवश्यक होगा।
- 17- विद्युत विभाग के नियमानुसार भूखण्ड के परिसर में ट्रांसफार्मर साईड के सेटबैक में स्थापित किया जाना होगा। भू-स्वामी को इस परिसर में विद्युत कनेक्शन के साथ अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर (ईएलसीबी) लगवाना आवश्यक होगा।
- 18- भवन निर्माण कार्य में भू-कम्परोधी प्रावधानों की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा ऐसी स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आप भवन निर्माता की होगी। भवन निर्माण शुरू करने से पूर्व सक्षम स्ट्रक्चरल इंजिनियर से इस बाबत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर न्यास में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि प्रस्तावित भवन स्ट्रक्चरल दृष्टि से सुदृढ़ होगा। आप द्वारा निर्मित उक्त भवन में होने वाली किसी भी प्रकार की जनहानि या धनहानि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें न्यास की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी।



- 19- आग से बचाव के विनियम तथा अग्निशमन उपकरण राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रभावी प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। भवन विनियम के अनुसार आग से बचाव हेतु पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में समुचित क्षमता के दो टैंक बनाये जायेंगे, जिसमें एक टैंक अग्निशमन व्यवस्था के पाईपों की प्रणाली से जुड़ा होगा।
- 20- भूखण्ड में वर्षा जल, ड्रेनेज, सीवरेज आदि के निकास की समुचित व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।
- 21- भूखण्ड में वर्षा जल एकत्रित करने एवं भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने हेतु स्वीकृत टाईप डिजाइन के अनुसार (संलग्न नक्शों) वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करना अनिवार्य होगा अन्यथा न्यास द्वारा निर्धारित की जाने वाली शास्ती राशि देय होगी।
- 22- भवन संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित हैं, इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। भवन निर्माता अनिवार्य रूप से इस आशय का अनुबन्ध प्रस्तुत करेगा कि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, अग्निशमन एवं पर्याप्त वातायन की व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुसार की गई हैं। इसके पश्चात् ही भवन उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा। भवन का उपयोग करने से पूर्व न्यास से उपयोगिता/अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 23- भवन में आपातकालीन, अग्निशमन आदि के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करने होंगे। अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मीटर का गलियारा प्रत्येक भवन के चारों ओर उपलब्ध कराना होगा।
- 24- सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 1000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 1.33 क्यूबिक मीटर का बायोडिग्रेडेबल तथा 0.67 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहां से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।
- 25- भूखण्ड में स्नानागार तथा रसोई के अपशिष्ट जल (waste water) के शुद्धिकरण हेतु recycling की व्यवस्था करनी होगी। इसमें टायलट से निकलने वाला जल शामिल नहीं होगा।
- 26- आवेदक द्वारा भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जावेगा। जिसमें अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जावेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
- 27- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के प्रावधानों की पालना करना अनिवार्य होगा।
- 28- सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का संयंत्र एवं प्रणाली "ब्योरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स" (आई. एम. 12933/13129 एवं 12976) के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिये।

Handwritten signature

- 29- अनुज्ञाधारी द्वारा भवन निर्माण में न्यास के भवन विनियम, 2011 तथा राष्ट्रीय भवन संहिता के सभी प्रावधानों की पालना करना अनिवार्य होगा।
- 30- राजस्थान राज्य प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल के प्रावधानों की पालना करना अनिवार्य होगा। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14-09-2006 तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04-02-10 या अन्य आदेशों / परिपत्रों के नियमानुसार यदि राजस्थान राज्य प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो तो उक्त अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू करेंगे, जिसकी एक प्रति न्यास को प्रेषित करनी होगी। Environmental Clearance प्राप्त करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
- 31- भूखण्ड क्षेत्र में आंतरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सड़कें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना आदि का कार्य विकासकर्ता द्वारा करवाया जायेगा। इसके लिए न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 32- उक्त भवन में Fire Escape हेतु अतिरिक्त सीढ़ियों का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा तथा भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मीटर का गलियारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 33- यह अनुज्ञा प्राप्ति के बाद अनुज्ञाधारी को भवन निर्माण कार्य आरम्भ करने के आशय की सूचना वांछित प्रपत्र में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी सूचना दिये जाने के सात दिवस बाद अनुज्ञाधारी निर्माण कार्य आरम्भ कर देगा।
- 34- प्लिन्थ लेवल तक निर्माण की सूचना पंजीकृत वास्तुविद से प्रमाणित कर न्यास को सूचित करेंगे। सही निर्माण पाए जाने पर आगे निर्माण जारी रखा जाएगा अन्यथा अनुमोदित मानचित्र के विपरीत निर्माण पाये जाने पर संबंधित अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण हटवाने की कार्यवाही की जाएगी।
- 35- प्लिन्थ लेवल से ऊपर भूतल + प्रथम तल तक निर्माण के पश्चात् न्यास को सूचित करना होगा, जिसकी जांच संयुक्त रूप से संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/सहा. अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता एवं वरिष्ठ नगर नियोजक/उपनगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक के स्तर पर ही जाने के पश्चात् आगे का निर्माण कार्य जारी रखेंगे।
- 36- भवन के लिये अन्य उपबन्ध तथा विनियम जो यहां सम्मिलित नहीं हैं वे ऐसे होंगे कि राष्ट्रीय भवन संहिता में तथा विनियमों/नियमों, भवन उपविधियों में विहित किये गये हैं, उनकी पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- 37- अनुमोदित मानचित्र में जो प्रस्तावित निर्माण अस्वीकृत किया गया है, उसका निर्माण नहीं करें।
- 38- राज्य सरकार/न्यास द्वारा अन्य कोई भी शर्त लगाई जाती है तो उसकी पालना करना अनिवार्य होगा।



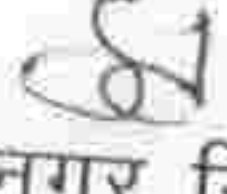
- 39- उक्त निर्माण हेतु श्रम विभाग को देय सेस राशि रुपये तीन लाख का डी डी संख्या 788805 दिनांक 28-03-12 बैंक युनियन बैंक ऑफ इण्डिया का आप द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त और कोई राशि देय होने पर आप समय पर श्रम विभाग में जमा करायेगें तथा इस राशि को जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
- 40- उक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

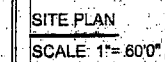
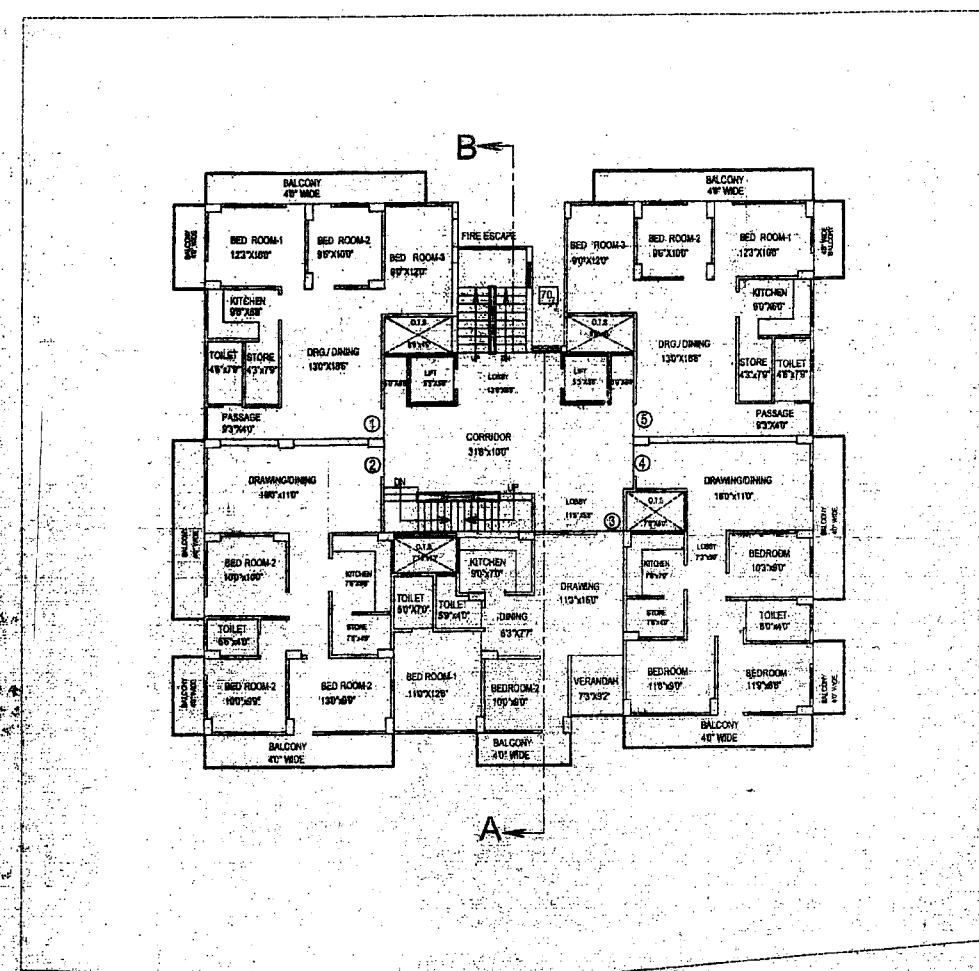
संलग्न : उपरोक्तानुसार नक्शें


उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

प्रतिलिपि :-

- 1- संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त श्रम विभाग, उदयपुर।
- 2- तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
- 3- बिक्री शाखा/भूमि रूपान्तरण शाखा/नियमन शाखा, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
- 4- संबंधित सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता, न्यास, उदयपुर।


उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

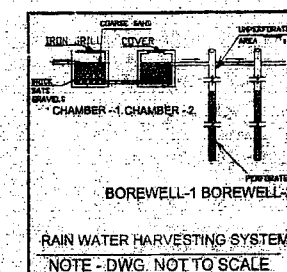


REF. =
PLOT SIZE = AS PER SHOW
PLOT AREA = 14611.18 SQ.FT.

AREA DETAIL			
PARTICULAR	BUILT UP IN SQ.FT	DEDUCTION FOR F.A.R.	F.A.R. AREA IN SQ.FT
ground floor area	4986.00	1004.00	3982.00
first floor area	4986.00	1004.00	3982.00
second floor area	4986.00	1004.00	3982.00
third floor area	4986.00	1004.00	3982.00
fourth floor area	4986.00	1004.00	3982.00
fifth floor area	4986.00	1004.00	3982.00
sixth floor area	4986.00	1004.00	3982.00
total const. area	34802.00	7028.00	27874.00

LESS STORAGE AREA = 838.00
NET AREA = 27041.00
TOTAL F.A.R. = 27041.00/14611.18
= 1.85

STILT FLOOR BUILTUP AREA = 4986.00 SQ. FT.
GROUND COVERAGE = 34 % OF PLOT AREA
TOTAL FLAT NO. = 35
TOTAL HEIGHT = 68'3"



STILT PARKING AREA

TOTAL AREA=4986.00 SQ.FT.
LIFT & STAIR = 309.00SQ.FT.
NET AREA =4677.00 SQ.FT.

FAR DEDUCTION AREA

TOTAL AREA= 4986.00 SQ.FT.
LIFT = 41+41 = 82.00 SQ.FT.
STAIR = 121+ 106 = 227.00SQ.FT.
LOBBY = 500.00SQ.FT.
O.T.S=70+37+37+31 +20 =195.00SQ.FT
TOTAL DED. AREA = 1004.00 SQ.FT.

STORAGE AREA
 $35+35+33+33 = 136 \times 7 = 952.00 \text{ SQ. FT.}$



PARKING DETAIL	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

REQUIRED PARKING E.C.U. = $27041/10.76/75 = 34+9 = 43$

Stilt floor parking area total = 4677.00 sq.ft. or 434.66 sq.mt

AVAILABLE PARKING E.C.U. IN STILT FLOOR = $434.66/30 = 14.00$

AVAILABLE PARKING E.C.U. IN OPEN AREA = $14611.18 - 4986.10 = 9625.08$

TOTAL AVAILABLE PARKING E.C.U. = 49.00

PROPOSED FLATS PLAN FOR

SH. VAINKAT RAJ S/O SH. UDAI RAJ JI DHBAL

SH. SUBRESH KUMAR UPADHYAY S/O SH. NAVEEN CHAND, II

SH. RAM SURESH YADAV S/O SH. VAI NATH II

SH AJAY JAIN S/O SH BK JAIN

AT PI OT NO 17-18

KHASRA NO. = 1127 TO 1131, 1134, 1135

REVENUE VILLAGE BHIWANA

UDAIPUR. (RAJ.)

SCALE 1"= 12'0"

UPENDRA TATER
Architect & Valuer
B.Arch (HONS), MBA
CA/91/14369
CGF/UDR/CAT-1/02/04

SIG. OWNER

ARCHITECT

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : F7()B-PLAN/MISC./ 3146

दिनांक : 5/10/2012

श्री वैकटराज पिता श्री उदयराज धाबाई,
श्री सुरेश कुमार उपाध्याय पिता श्री नवीनचन्द्र,
श्री राम सुरेश यादव पिता श्री वैजनाथ यादव,
श्री अजय जैन पिता श्री बी. के. जैन
123-ए, हिरण-मगरी सेक्टर-14, उदयपुर

विषय : राजस्व ग्राम भूवाणा के खसरा संख्या 1127 से 1131, 1134, 1135 में स्थित संयुक्तिकृत भूखण्ड संख्या 17 एवं 18 क्षेत्रफल 14611.18 वर्गफीट (1357.91 वर्गमीटर) पर आवासीय प्लेट्स प्रयोजनार्थ द्वितीय चरण की स्वीकृति एवं दो अतिरिक्त सप्तम एवं अष्टम तल की स्वीकृति बाबत।

प्रसंग : प्रन्यास स्वीकृति पत्रांक F7()B-PLAN/MISC./2011/1105 दिनांक : 02-04-12 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आपके आवेदन पर प्रकरण प्रन्यास की भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 23-05-11 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समिति द्वारा आपके भवन मानचित्र नियमानुसार होने से स्टील्ट (पार्किंग) + भूतल + षष्ठम तल तक निर्माण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें प्रथम चरण में प्रांसगिक पत्र से आपको स्टील्ट (पार्किंग) + भूतल, प्रथम एवं द्वितीय के निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी थी। तदोपरान्त आपके द्वारा न्यास में दिनांक 10-05-12 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए द्वितीय चरण की शेष रही तृतीय तल से षष्ठम तल एवं दो अतिरिक्त सप्तम एवं अष्टम तल की निर्माण स्वीकृति जारी करने का निवेदन किया गया। आपके आवेदन पर प्रकरण न्यास की भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 22-05-2012 में प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा बैठक में सर्व-सम्मति से द्वितीय चरण की तृतीय से षष्ठम तल एवं दो अतिरिक्त सप्तम एवं अष्टम तल की निर्माण स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया है। समिति निर्णय के क्रम में आप द्वारा दो अतिरिक्त तल (सप्तम एवं अष्टम तल) की निर्माण स्वीकृति शुल्क रुपये 626935/- न्यास कोष में दिनांक 28-09-12 को जमा करवा दिये गये हैं।

अतः आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-05-12 तथा भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 22-05-12 के निर्णयानुसार द्वितीय चरण के शेष रहे निर्माण तृतीय तल से षष्ठम तल की स्वीकृति पूर्व में जारी अनुमति-पत्र दिनांक 02-04-12 में वर्णित शर्तों के मद्देनजर प्रदान की जाती हैं। साथ ही पूर्व में जारी अनुमति-पत्र में वर्णित शर्तों के मद्देनजर दो अतिरिक्त सप्तम एवं अष्टम तल की निर्माण स्वीकृति जारी की जाती हैं। बशर्त कि यह सुनिश्चित किया जाय कि :-

1. नियमानुसार भवन में रेन हारवेस्टिंग सिस्टम स्थापित करते हुए परिसर में जल संग्रहण टांके का निर्माण करवाया जाये।
2. नियमानुसार भवन में अग्निरोधी सयंत्र की व्यवस्था की जावे तथा Fire Escape का प्रावधान प्रस्तावित किया जाये।
3. भूखण्ड के पार्श्व सेटबेक्स में ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जावे।
4. भवन में प्रचलित भवन विनियम के अनुसार सप्तम एवं अष्टम तल सहित सम्पूर्ण भवन के लिये आवश्यक पार्किंग की व्यवस्था आप अपने स्तर पर अपने परिसर में सुनिश्चित करेंगे।
5. नियमानुसार श्रम विभाग को देय सेस राशि आप अपने स्तर पर श्रम विभाग में जमा करायेगे।


उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

Urban Improvement Trust, Udaipur

U.I.T. Form No. 2
(SEE RULE 30)

ORIGINAL
DUPLICATE
TRIPLICATE

Challan No. 483

CHALLAN OF CASH PAID IN TO
UNION BANK OF INDIA, New Fatehpura, Udaipur

Date 28/9/12

By whom tenders	Name and designation of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of remittance and of authority	Head of account	AMOUNT		Order to Bank
				Rs.	P.	
1	2	3	4	5		
बंकर राज बालाई सुरेश उपाध्याय हान्य	Secretary Urban Improvement Trust Udaipur	जाल सं० 17.18, उत्पादन अ. सं० 1127 से 1131, 1134, 1135 के अतिरिक्त सब के निष्पत्ति 1545 सं० सं० 067056 प्रतिपादित	Current Account of Urban Improvement Trust Udaipur	6,26,935/-		Secretary Urban Improvement Trust Udaipur
				6,26,935/-		

Total in figures and word Rs.

For Cash in the State Bank of Bikaner & Jaipur, Udaipur / Union Bank of India, New Fatehpura, Udaipur

Total (in figures) ₹. लाख छब्बिस हजार ना सा पचास रु मात्र।

Cashier

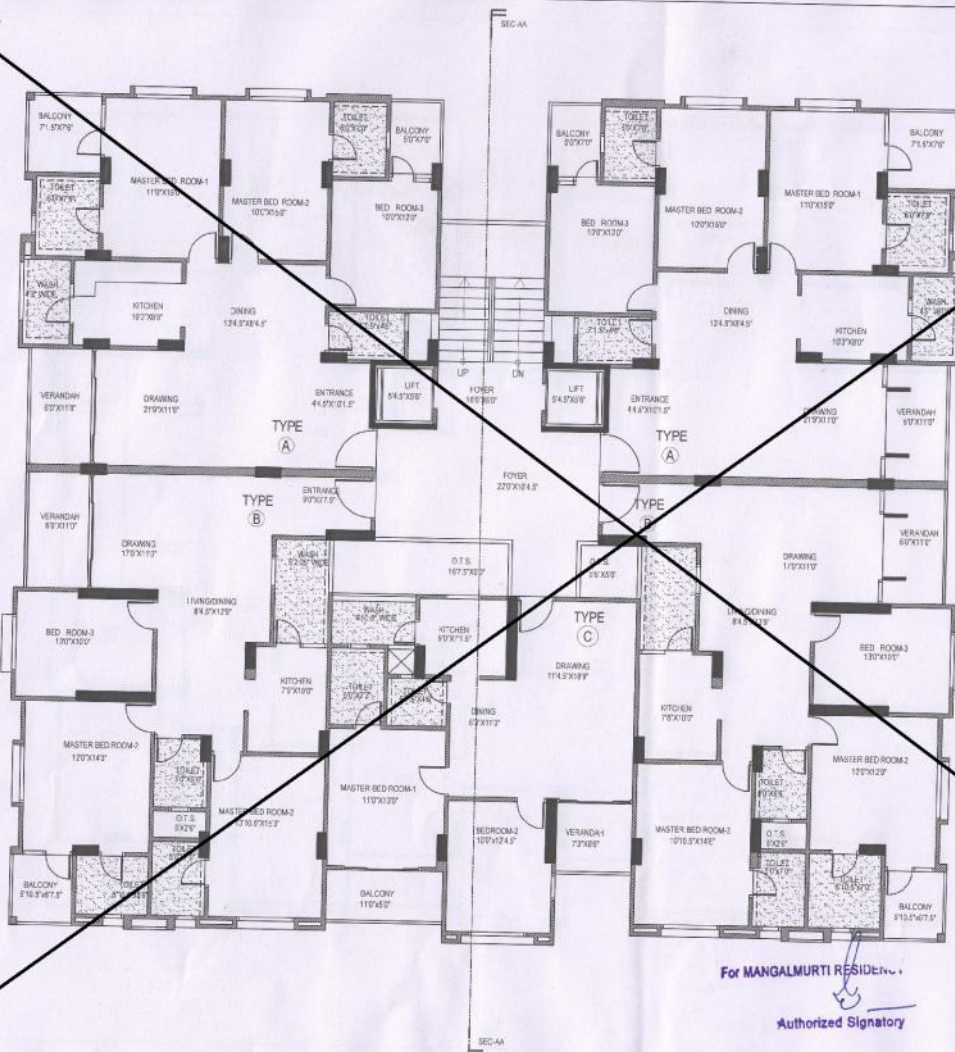
Accts.

Agent

28 SEP 2012
TRANSFER

This drawing and the design it covers are the property of KAMLESH D. MEHTA & ASSOCIATES ARCHITECTS AND INTERIOR DESIGNERS. They are hereby issued and not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of KAMLESH D. MEHTA & ASSOCIATES ARCHITECTS AND INTERIOR DESIGNERS.

Project: Mangalmurti Apartment



- IN CASE THERE IS ANY DISCREPANCY BETWEEN ARCHITECTURAL DRAWINGS AND OTHER DRAWINGS, ARCHITECTURAL DRAWINGS SHOULD BE FOLLOWED. THE DISCREPANCY SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECTS BEFORE EXECUTION OF THE WORK.
- DRIP MOULD SHOULD BE PROVIDED IN DISCREPANCIES OF ALL EXTERNAL OPENINGS.
- ALL DIMENSIONS ARE TO BE READ AND NOT MEASURED.
- ALL DIMENSIONS ARE IN FEET INCHES.
- REFER DETAIL DRAWINGS WHERE EVER RELEVANT: e.g. FOR THE CONSTRUCTION OF STAIRS, KITCHENS AND TOILETS.
- R.W.P. INDICATES RAIN WATER PIPE.

BUILTUP AREA:- 4986 SQ.FT.

NO.	DATE	REMARKS

REVISIONS:

MANGALMURTI APARTMENT
AT UDAIPUR PROJECT NO. XXXX

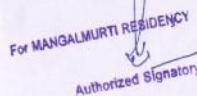
7TH FLOOR PLAN
WORKING DRAWING

DATE: 7th OCT. 2011
SCALE: 1" = 8'0"
DEALT BY: shalish
CHECKED BY: K.D. MEHTA

DRG. NO. WR-04

KAMLESH D. MEHTA & ASSOCIATES architect & interior designer
9, "MATHU CHHAYA"-ADHYAPAK SOC. IV, POLYTECHNIC, AMEDHABO-380015
PHONE NO - (079) 2644 9734, 2656 2119 e-mail - kdmehta@yahoo.co.in

O: project / ~~xxxxxxxx~~ / ~~xxxxxx~~



U
L
T
C
Z

[illegible]

8TH FLOOR PLAN
WORKING DRAWING

KAMLESH D. MEHTA & ASSOCIATES architect & interior designer
9, "MATRU CHAWA" - ACHYAPAK SOC., N. POLYTECHNIC, AHMEDABAD - 380015
PHONE NO - (079) 2644 9734, 2656 2119 e-mail : kdmehta@yahoo.co

KAMLESH D. MEHTA & ASSOCIATES architect & interior designer
9, "MATRU CHAWA" - ADHYAPAK SOC., Nr. POLYTECHNIC, AHMEDABAD - 380015
PHONE NO - (079) 2644 9734, 2656 2119 e-mail: kdmarch@yahoo.co.

MANGALMURTI RESIDECY

PLOT NO. 17, 18 BHUWANA, GIRWA UDAIPUR

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

It is hereby declared that our Project MANGALMURTI RESIDECNY Situated at Plot no 17, 18 Khasra No. 1127 to 1131, 1134, 1135 Bhuwana, Udaipur-313001 (Raj).

Approval of Revise Building plan, after getting permission to construct 7th and 8th floor in addition to earlier permission of construction G+ 6 floors, from UIT is in process. As we get the revised approved building Plan we shall upload the same soon.

We are uploading on the site earlier approved building Plan of G+6 floor.

For MANGALMURTI RESIDENCY

FOR MANGALMURTI RESIDENCY

Authorized Signatory

AUTHORIZED SIGNATORY